

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक: प.8(21)चिस्वा/2/2016 पार्ट

जयपुर, दिनांक : 02.08.2017

आदेश

राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियम, 1963 के नियम-24 बी एवं 24 बीबी (5) के अन्तर्गत गठित स्क्रीनिंग कमेटी की अभिशंषा पर निम्न चिकित्सा अधिकारियों को डी.ए.सी.पी. स्कीम के अन्तर्गत उनके नाम के सम्मुख अंकित दिनांक से वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी/कनिष्ठ विशेषज्ञ के पद पर (वेतनमान 15600-39100 में ग्रेड पे 6600/-) पदोन्नत किया जाता है, सेवानिवृत्त अधिकारियों को छोड़कर शेष अधिकारी यथावत पदस्थापित रहेंगे।

S. No.	Name of Medical Officer	Category	Date of Birth	RPSC/DOJ	Date of DACP
1	SUNITA JAIN	GEN	06.12.67	1996-R	11-07-2012
2	INDERJEET SINGH DEORA	GEN	27.01.70	1997	11-07-2014
3	SHRIKANT AGARWAL	GEN	10.12.75	24.09.08	01.04.15
4	PANKAJ BHARDWAJ	GEN	07.03.78	18.09.08	01.04.15
5	AMIT GUPTA	GEN	14.12.81	30.03.09	01.04.15
6	OM PRAKASH SHARMA	GEN	01.06.63	1994	11-07-2016
7	DHANRAJ MEWARA	GEN	22.01.66	1996	11-07-2016
8	BANWARI LAL	GEN	01.07.66	1996	11-07-2016
9	VISHNU KUMAR SAIN	GEN	26.12.66	1996	11-07-2016
10	MEHBOOB ALI DAUDI	GEN	01.07.69	1996	11-07-2016
11	RAMESH CHANDRA MEENA	ST	20.04.66	1997	11-07-2016
12	DHARAMVEER SANWARIA	SC	20.12.67	1997	11-07-2016
13	SANJAY KUMAR GUPTA	GEN	03.05.73	2000	11-07-2016
14	DEEPANJALI DADUPANTHI	GEN	02.01.70	2000	11-07-2016
15	MAHENDRA SINGH	GEN	12.12.78	31.05.10	01.04.17

- नोट: 1. सभी संबंधित नियंत्रण अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे उक्त चिकित्सकों से अचल सम्पत्ति का विवरण एवं कार्मिक विभाग की अधिसूचना के अनुसार बच्चों की सूचना प्राप्त कर ही आवश्यक कार्यवाही करें।
2. उक्त चिकित्सकों का सहायक लेखाधिकारी द्वारा चिकित्सक की सर्विस बुक से पूर्ण सेवा सत्यापन एवं वेतन स्थरीकरण की जांच करने के उपरान्त वेतन निर्धारण करने की अनुशंषा के आधार पर संबंधित कार्यालयाध्यक्ष वेतन निर्धारण करेंगे।
3. उक्त चिकित्सकों के आरोप पत्र/असाधारण अवकाश या सेवा में व्यवधान/अनुपस्थित होने पर वेतन निर्धारण नहीं कर प्रकरण राज्य सरकार को प्रेषित करेंगे।

4. जिन चिकित्सकों की प्रथम कार्यग्रहण तिथि आदेश में अंकित नहीं है, उन्हें स्थाईकरण आदेश/नियमित वेतन श्रृंखला स्वीकृति आदेश की प्रति के साथ पदोन्नति पर कार्यग्रहण करावें।
5. नियंत्रण अधिकारी/लेखाकर्मी पदोन्नति पर कार्यग्रहण/वेतन नियतन करने से पहले डी.ए.सी.पी. स्कीम के तहत पदोन्नति तिथि से पूर्व 6 वर्ष की नियमित सन्तोषजनक राज्य सेवा होने की पुष्टि सेवाभिलेख से कर लेवें।
6. असाधारण अवकाश/अनुपस्थित/सेवा में व्यवधान/दण्ड/निलम्बन आदि प्रकरण होने की स्थिति में कार्यग्रहण/वेतन निर्धारण नहीं कर प्रकरण निदेशालय में भिजवायेंगे।
7. उक्त पदोन्नत अधिकारियों में से एम. बी. बी. एस. डिग्रीधारी चिकित्सकों को वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के पद पर एवं पी. जी./डिप्लोमाधारी चिकित्सकों को पी. जी./डिप्लोमा की डिग्री प्रस्तुत करने पर उनकी विशिष्टता में कनिष्ठ विशेषज्ञ के पद पर पदोन्नत माना जावेगा।

राज्यपाल की आज्ञा से

-30-

(पारस चन्द जैन)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1- विशिष्ट सचिव, मा. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री महोदय/मा. राज्य मंत्री महोदय
- 2- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकि. एवं स्वा. विभाग, राज. जयपुर।
- 3- सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
- 4- निजी सचिव, शासन सचिव, कार्मिक/श्रम एवं नियोजन विभाग
- 5- मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, जयपुर/प्रबन्ध निदेशक, आर. एम. सी. एल., जयपुर।
- 6- संबंधित कमाण्डर, आर. ए. सी./पुलिस महानिदेशक/मुख्य कार्य. अधिकारी, नगर निगम/नगर परिषद
- 7- समस्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राज.
- 8- संबंधित प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, राजस्थान
- 9- संबंधित संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जोन/मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/ प्रमुख चिकित्सा अधिकारी/प्रधानाचार्य, आर. एफ. पी. टी. सी.
- 10- संबंधित अधिकारी
- 11- कम्प्यूटर सैल/निजी/रक्षित पत्रावली।
- 12- प्रभारी सर्वर रूम, निदेशालय, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि वे उक्त आदेश आज ही विभाग की बेवसाईड पर अपलोड करावें।

(गोहन लाल वर्मा)
शासन सहायक सचिव